क्रम-संख्या–3

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या261/79-वि-1–2026-1-क-14-2025
लखनऊ, 2जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 जिससे वित्त सामान्य अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

पेंशन की हकदारी और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा;

(ख) "विनियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विनियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य हेतु यथा अंगीकृत सिविल सेवा विनियमावली तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य विनियमावली सम्मिलित होगी।

(ग) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी नियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 और संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य नियमावली सम्मिलित होगी।

(घ) "मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्तिसे होगा, जिसे सरकार के किसी स्थायी स्थापन में सरकार द्वारा सम्यक रूप से सृजित किसी अस्थायी या स्थायी पद हेतु प्रयोज्य नियमावली या विनियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

पेंशन की हकदारी

3—किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति—

(क) जो सरकार के किसी विभाग में या किसी विभाग के अधीन किसी संगठन में मौलिक रूप से नियुक्त नहीं है; और

(ख) जो अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि का अभिदाता है या रहा हो;

पेंशन प्रदान करने से संबंधित किसी भी नियम, विनियम या सरकारी आदेश के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा।

विधिमान्यकरण

4—किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, की गयी सभी कार्यवाहियां, कृत कार्य या जारी किए गए शासनादेश या तात्पर्यित कार्यवाही, कार्य या जारी शासनादेश, जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति नहीं हैं और जो किसी अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाता हैं या रहें हैं, को पेंशन देने से इन्कार किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

5—अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

6—(1) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संदेय पेंशन की हकदारी हेतु शर्तें उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स में दी गयी हैं। चूंकि ये शर्तें व्यक्तिनिष्ठ निर्वचन के लिए खुली हैं, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

अतएव, दिनांक 1 अप्रैल, 1961, जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के प्रारम्भ होने का दिनांक है, से पेंशन की हकदारी की शर्तों को परिभाषित करने और ऐसी परिभाषाओं का विधिमान्यकरण करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।